**निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण**

प्रकरण संख्या :49/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सीताराम पुत्र स्व. श्री रामू जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम खेजडी बुजुर्ग, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिव चरण शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण।
2. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री रामजीलाल शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 75, गोविन्दपुरा सांगानेर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 196/2022 उनवानी रूकमणी देवी बनाम सीताराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री किशन लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्योजीराम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.05.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 196/2022 उनवानी रूकमणी देवी बनाम सीताराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री श्योजीराम शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व दस्तावेज पेश किये ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय बिना प्रार्थी को जबाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये ही एवं बिना कोई आदेश पारित किये ही प्रार्थी की भूमि में से जबरन प्रार्थी के खसरा नम्बर 110 रकबा 2.48 हैक्टेयर के दो टुकडे करके रास्ता निकालने पर आमादा है । प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी से जबाब व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को कहा कि तुम जबाब पेश करो या नहीं मै उक्त प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

तुम्हारे विरूद्व निर्णय करूंगा। दिनांक 18.03.2024 को प्रार्थी न्यायालय मे गया तो अप्रार्थी संख्या 2 के पति रामजीलाल व पुत्र राजेन्द्र द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हो चुकी है। अब यह शीघ्र ही उक्त प्रकरण का मेरे पक्ष में निस्तारण कर देंगे। अप्रार्थी संख्या 2 के पति व पुत्र राजनीतिक पहुंच रखते है जिनका बडे बडे मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्र्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ । जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 03 दिन की तारीख पेशी पत्रावली पर नियत की जा रही है। जिससे प्रार्थी को शारीरिक व आर्थिक क्षति कारित हो रही है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकापार्जन का साधन नहीं है । अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी की भूमि मे से जबरन रास्ता निकाल देंगे तो प्रार्थी की भूमि दो भागों मे विभक्त हो जायेगी तो वो अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति मे न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 65/2023 निर्णय दिनांक 08.08.2023 एवं न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 156/2023 निर्णय दिनांक 12.02.2024 पेश किये गये है। अब प्रार्थी ने नये पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । प्रार्थी प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इसलिए बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करके कानून का दुरूपयोग कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलोभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रास्ते से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा रास्ते के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश है। उक्त प्रकरण 10.10.2022 से विचाराधीन है । इसलिए नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारियों के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जो खारिज हो चुके हैं। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)